कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक : 758 राँची : 26/9/2025

सेवा में,

सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– मेसर्स आलोक स्टील इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के मिनी प्लांट हेतु 9.27 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 32 दिनांक 03.01.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि मेसर्स आलोक स्टील इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के मिनी प्लांट हेतु 9.27 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/JH/ENCRH/39652/2019/724, दिनांक 02.12.2024 द्वारा पृच्छा की गई है।

उपरोक्त भारत सरकार के द्वारा पृच्छित बिन्दु के आलोक में उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक 165 दिनांक 01.02.2025 द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन के क्रम में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 469 दिनांक 19.03.2025 एवं पत्रांक 1326 दिनांक 07.08.2025 द्वारा संबंधित रामगढ़ वन प्रमण्डल से प्राप्त कालक्रमबद्ध विस्तृत सूचना पर मंतव्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध गया है। जिसे इस पत्र के साथ अनुलग्नक सहित संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि विषयगत मामले में आवश्यक अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

<u>अनु0– यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन,

ह0/–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड़, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– 758 दिनांक– 26/9/2025

प्रतिलिपि :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/09/2025

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड़, झारखण्ड, राँची।

OK

कार्यालय : क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो।

VAN BHAWAN, PURULIA ROAD, CHAS, BOKARO - 827013

: - 06542-265440 Email – rccf-bokaro@gov.in/bokarorccf@gmail.com

पत्रांक : 1326 दिनांक : 07/08/2025

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
—सह—
कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

विषय :— मेसर्स आलोक स्टील इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के मिनी प्लांट हेतु 9.27 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :— 1. आपका ज्ञापांक 37 दिनांक 09.01.2025 एवं पत्रांक 176 दिनांक 28.02.2025।
2. आपका पत्रांक 331 दिनांक 22.04.2025।

संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड राँची — प्राप्ति सं. 1920 दिनांक 19/8/2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र–1 के आलोक में उप वन महानिरीक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/JH/ENCRCH/39652/2019/724 दिनांक 02.12.2025 के द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन सभी साक्ष्य/अभिलेख सहित इस कार्यालय के पत्रांक 469 दिनांक 19.03.2025 द्वारा पूर्व में भेजी गई थी।

पुनः भवदीय के प्रासंगिक पत्र–2 द्वारा उपायुक्त, रामगढ़ एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में भिन्नता को सुस्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था। उक्त निर्देश के आलोक में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो ने पत्रांक 522 दिनांक 07.07.2025 से वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल से प्राप्त कालक्रमबद्ध विस्तृत सूचना मंतव्य सहित समर्पित किया है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल से प्राप्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो ने सहमति व्यक्त की है, जिससे अद्योहस्ताक्षरी भी सहमत हैं।

अतः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो से प्राप्त प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी

अनु0 :— यथोक्त

07/08/2025

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

07/08

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

वन भवन, ब्लॉक-'ए' पुरूलिया रोड़, चास, बोकारो-827013

Email – cf-bokaro@gov.in, bokarocf@gmail.com, cfbokaro@rediffmail.con मो० – 8987790301

पत्रांक : 522 दिनांक : 07/07/2025

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

विषय :– मेसर्स आलोक स्टील इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के मिनी प्लांट हेतु 9.27 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ज्ञापांक 331 दिनांक 22.04.2025।
2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल का पत्रांक 1545 दिनांक 02.07.2025।

महाशय,

उप वन महानिरीक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक–FP/JH/ENCRCH/39652/2019/724, दिनांक 02.12.2025 के द्वारा पृच्छित बिन्दुओं के निराकरण प्रतिवेदन सभी साक्ष्य/अभिलेख सहित इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक द्वारा पूर्व में भेजी गई थी।

पुनः प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के प्रासंगिक पत्र–1 द्वारा उपायुक्त, रामगढ़ एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में भिन्नता को सुस्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था। निर्देश के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़ के प्रासंगिक पत्र–2 द्वारा कालक्रमबद्ध विस्तृत सूचना मंतव्य सहित समर्पित किया गया है।

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के प्रसांगिक पत्र द्वारा परिदृष्य जो भवदीय के पटल पर रखी गई है जिससे अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं जिसकी छायाप्रति संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

<u>अनु0 :– यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

(241)

कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल।

(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो0—मरार, जिला—रामगढ़ पिन—829117)

Email id – dfo-ramgarh@gov.in, Land Line No-06553-296061, Mobile No-8987790306

पत्रांकः— 1545 दिनांकः— 02-07-2025

सेवा मे,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
बोकारो

विषय :— **मेसर्स आलोक स्टील इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के मिनी प्लांट हेतु 9.27 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः— **1. आपका कार्यालय पत्रांक— 494 दिनांक 23.06.2025**
2. आपका कार्यालय पत्रांक— 407 दिनांक 29.04.2025
3. आपका कार्यालय पत्रांक— 619 दिनांक 18.07.2024

महाशय,

सादर सूचित करना है कि संबंधित वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दो बार और उसी क्रम मे भवदीय के कार्यालय से तीन बार पृच्छाएँ की जा चुकी है, अतः अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि संबंधित पृच्छाओं के सम्पूर्ण निवारण के लिए कालक्रमवद्ध विस्तृत सूचना आवश्यक है, जो निचे दी जा रही है :—

1. इस प्रस्ताव FP/JH/ENCRCH/39652/2019 में कुल 9.27 हे0 वन भूमि यथा 7.0 हे0 जंगल झाड़ी एवं 2.27 हे0 अधिसूचित वन भूमि सन्निहित है। यह प्रस्ताव अपयोजन हेतु वर्ष 2019 मे समर्पित किया गया था। प्रस्ताव का category, encroachment है, जो कि self-explanatory है, कारण कि 7.0 हे0 जंगल झाड़ भूमि पहले से खण्डित थी और 2.27 हे0 अधिसूचित वन भूमि प्रस्ताव के साथ सम्मिलित किया गया है, जो कि आज कि तिथि में अखण्डित है।
2. 9.27 हे0 भूमि में 7 हे0 भूमि जंगल झाड प्रकृति का है, जो आवेदक के कब्जे में वर्ष 2004—05 से है। आवेदक ने ये भू—खण्ड केवाला के माध्यम से वहाँ पर रैयतो से प्राप्त की थी, यानि वर्ष 2004—05 में उक्त 7 हे0 भू—खण्ड किन्हीं रैयतों के नाम पर बन्दोबस्त थी, जिसका रसीद भी निर्गत हो रहा था। भूमि का प्रकार जंगल झाड़ी होने के कारण और 1996 के उपरांत औधोगिक ईकाई के स्थापना के कारण तत्कालीन वन अधिकारियों द्वारा project category को encroachment category में आवेदन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित किया गया होगा, ताकि केन्द्र सरकार के संज्ञान में सभी तथ्य पारदर्शिता के साथ आ सकें।

3. वर्ष 2019 में वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत, प्रयोक्ता अभिकरण को प्रक्रियानुसार GMJJ NOC जमा करने हेतु निर्देशित किया गया।

4. GMJJ NOC प्राप्त करने के प्रक्रिया के दौरान, 1996 के उपरांत जंगल झाड़ी भूमि पर औधोगिक ईकाई के अधिष्ठापण का मामला राजस्व विभाग के संज्ञान में आया एवं उनके द्वारा पूर्व से कायम जमाबंदी की समीक्षा करने के उपरांत नियमानुसार आगे की प्रक्रिया एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई। राजस्व विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से सरकारी भूमि के NOC हेतु राजस्व की मांग भी की गई, जो कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 80 प्रतिशत जमा भी कर दिया गया है।

5. उपरोक्त तथ्यों पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक– FP/JH/ENCRH/39652/2019/436 दिनांक 11.07.2024 के कंडिका– 1 द्वारा पृच्छा भी की गई, कि राजस्व विभाग या वन विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है (जो कि आपके प्रासंगिक पत्र (3) द्वारा प्रेषित की गई थी)। प्रासंगिक 7 हे0 भूमि वन विभाग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, अतः राजस्व विभाग से इस पृच्छा के क्रम में पत्राचार किया गया। उपायुक्त, रामगढ़ द्वारा अपना पक्ष रखा गया, जो कि आपको पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक–1723 दिनांक 04.09.2024 द्वारा आपको प्रेषित् किया जा चुका है। आपके कार्यालय पत्रांक– 809 दिनांक 10.09.2024 द्वारा उसे उच्चाधिकारियों को अग्रसारित भी किया जा चुका है। उपायुक्त, रामगढ़ द्वारा दिया गया उत्तर दृष्टव्य है **(अनुलग्नक–A)**।

6. उपरोक्त जवाब क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पास पहुँचने के उपरांत उनके द्वारा पुनः अपने पत्रांक– FP/JH/ENCRH/39652/2019/724 दिनांक 02.12.2024 द्वारा पृच्छा की गई। इस पत्र का आशय यह था कि क्या यह जंगल–झाड़ भूमि 1980 के पूर्व कृषि कार्यो हेतु बन्दोबस्त किया जा चुका था या नहीं ? हालांकि यहाँ भी यह बात गौरतलब है कि जंगल झाड़ की विधिक जमाबन्दी पर 12.12.1996 के सर्वोच्च न्यायालय के बाद ही रोक लगा है।

उपरोक्त पत्र सीधे उपायुक्त को भी प्रेषित् था, जिसका जवाब उन्होनें अपने पत्रांक–165/रा0 दिनांक 01.02.2025 द्वारा सीधे प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–नोडल पदाधिकारी (एफ0सी0) को भेज दिया था। इसके उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–नोडल पदाधिकारी (एफ0सी0) के कार्यालय से उपायुक्त के उत्तर को अधोहस्ताक्षरी के मंतव्य के साथ प्रेषित करने की मांग की गई, जिसे इस कार्यालय के पत्रांक–607 दिनांक 01.03.25 द्वारा भेजा गया था। इस मंतव्य में अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह लिखा गया था कि, "उपलब्ध पंजी–II जिसमें 1984–85 से रिकार्ड उपलब्ध कराया गया है, 1996 से पूर्व का है।" इस मंतव्य और उपायुक्त के रिपोर्ट में कोई भिन्नता नहीं थी। उपायुक्त के रिर्पोट में अंकित *"पुरानी पंजी–II के जमाबंदी का मिलान 1951–52 से वर्ष 1983–84 तक कायम जमाबंदी से मिलान किया गया। उपरोक्त जमाबंदी पुरानी पंजी–II में कायम नहीं है।"* से यह निष्कर्ष निकलता है कि आजादी से लेकर वर्ष 1983–84 तक लगान वसूली के प्रमाण पंजी II में नहीं अंकित है, परन्तु उसके बाद से अंकित हैं।

7. पुनः प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–नोडल पदाधिकारी (एफ0सी0) के कार्यालय ज्ञापांक–331 दिनांक 22.04.25 और आपके प्रासंगिक पत्र–2 के माध्यम से सुस्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया, जिसपर इस कार्यालय के पत्रांक–1121 दिनांक 05.05.25 द्वारा ज्यादा विस्तृत मंतव्य न देकर केवल यह लिखा गया कि, "जो दर्शाता है कि जमाबन्दी काफी पुरानी है।"

8. आपके कार्यालय के प्रासंगिक पत्र–1 द्वारा अधोहस्ताक्षरी के मंतव्य को, "जमाबन्दी पुरानी पंजी– II में कायम नहीं है, जो दर्शाता है कि जमाबन्दी काफी पुरानी है।" उद्धृत किया गया है जो कि उपायुक्त के आखरी पद्धांश, "जमाबन्दी पुरानी पंजी–II में कायम नहीं है" को अधोहस्ताक्षरी के मंतव्य, "जो दर्शाता है कि जमाबन्दी काफी पुरानी है।" को साथ में जोड़ दिया गया है। इसके कारण गलत व्याख्या हो रही है।

9. पंजी–II कई भोल्यूम में होते हैं और पंजी II भोल्यूम– I हीं पुरानी पंजी कहलाती है।

10. उक्त परिदृश्य में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जा रही पृच्छाओं का आशय समझना आवश्यक है। अधोहस्ताक्षरी के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जा रही पृच्छाओं का आशय और मंतव्य निम्नवत हैः–

क्र.सं.	आशय	मंतव्य
1	क्या परियोजना में सन्नहित जंगल–झाड़ी भूमि पर पूर्व से जमाबन्दी थी।	उपायुक्त के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1984–85 से पंजी–II भोल्यूम संख्या–01 में लगान वसूली के प्रमाण है।
2	क्या जंगल–झाड़ी की जमाबन्दी 1980 के पूर्व की है ?	उपायुक्त के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1984–85 से पंजी– II भोल्यूम संख्या–01 में कैफियत कॉलम में प्रथम रसीद संख्या–549032 दिनांक 21.01.1955 आदि दर्ज तो है लेकिन पंजी– II में 1955 से 1983–84 तक लगान वसूली दर्ज नहीं है। अतः इस पर कुछ निश्चितता से नहीं कहा जा सकता है।
3	क्या जंगल–झाड़ी की जमाबन्दी 1996 के पूर्व की है ?	क्योंकि उपायुक्त के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1984–85 से पंजी– II भोल्यूम संख्या–01 में लगान वसूली के प्रमाण है, अतः 1996 के पूर्व से जमाबन्दी के प्रमाण है।
4	क्या जमाबन्दी वैध है ?	नहीं और इसलिए उपायुक्त रामगढ़ के पत्रांक 920 दिनांक 23.08.2024 जो कि इस कार्यालय के पत्रांक–1723 दिनांक 04.09.2024 द्वारा अग्रसारित है, में संलग्न अंचल अधिकारी, माण्डू के पत्र के अनुसार पूर्व से कायम जमाबन्दी को रदद करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ में नियमानुसार प्रयोक्ता अभिकरण से सरकारी भूमि के लिए बजार दर पर राशि जमा कराई गई है।

क्र.सं.	आशय	मंतव्य
5	राजस्व विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की गई ?	इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक–1723 दिनांक 04.09.2024 द्वारा उत्तर दिया जा चुका है, जो कि स्वंय व्याख्यात्मक है।
6	क्या प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा जानकारी होते हुए भी जंगल झाड़ी भूमि का 1996 के उपरांत औधोगिक प्रयोग में लाया गया है ?	नहीं। दस्तावेजों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण ने भूमि रैयतो से 2004–05 में प्राप्त की थी, जिसपर लगान रसीद निर्गत हो रहा था और आम समझ के अनुसार भूमि का प्रकार रैयति माना गया। इसके बाद वर्ष 2010–11 में दाखिल खारिज भी स्वीकृत किया गया था और प्रयोक्ता अभिकरण शांतिपूर्वक दखलकार है।

अतः उपरोक्त परिदृष्य जो भवदीय के पटल पर रखी गई है के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची को उनके द्वारा की गई पृच्छा का निराकरण भेजने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

आपका विश्वासी,

Nitish 02/7/25

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ।

D:\Mukesh Data\Data-1\DFO Office-Com-1\Shashi Dubey\FC Act\FC Act Letter\FC Act Misc. Letter- From 04.01.2025.Docx
186

(237)

ANX-A

कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी
पत्रांक 2886
दिनांक 29/8/24
रामगढ़ वन प्रमंडल

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़।

(राजस्व शाखा)

दूरभाष : 06553–261555(O) Email ID: dc-ramgarh@gov.in

पत्रांक 920 /रा0

प्रेषक,

उपायुक्त,
रामगढ़।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
रामगढ़।

Concerned File

रामगढ़, दिनांक 23/08/2024

विषय :– मेसर्स आलोक इण्डस्ट्रीज के प्लांट हेतु 9.27 हेक्टयर वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक–1439, दिनांक–19.07.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कार्यालय पत्रांक–864/रा0, दिनांक–05.08.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी, माण्डू से जाँचोपरांत प्रतिवेदन की मांग की गई। उक्त के आलोक मे अंचल अधिकारी, माण्डू के द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–890, दिनांक–20.08.2024 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन
Chandan 23/08/24
उपायुक्त,
रामगढ़।

Nitish Kumar
Divisional Forest Officer
Ramgarh Forest Division

कार्यालय अंचल अधिकारी, माण्डू (रामगढ)

पत्रांक 890

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
माण्डू।

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता
रामगढ।

माण्डू दिनांक 20/08/2024

विषय :- मेसर्स आलोक इण्डस्ट्रीज के प्लांट हेतु 9.27 हेक्टर वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक 864/रा0, दिनांक 05.08.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी, जाँचोंपरान्त इनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा बुढाखाप खाता सं0– 01, प्लॉट सं0– 236, 272, 258 एवं 345 रकवा– 17.31 ए0 भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास किस्म जंगल दर्ज है।

उक्त भूमि पर मेसर्स आलोक स्टील प्रा0 लि0 का कारखाना वर्ष 2005 से संचालित है। भूमि मेसर्स आलोक स्टील प्रा0लि0 को कई निबंधित केवाला द्वारा खरीदगी से प्राप्त है तथा अद्यतन लगान रसीद भी निर्गत है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र0 सं0	मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं	रकवा (ए0)	केवाला संख्या एवं वर्ष	दा0 खा0 केस नं0 / वर्ष	लगान रसीद वर्ष
1	बुढाखाप	01	236	0.02	4040 / 18.03.2004	738 / 2010–11	2023–24
2		01	258	0.82	6775 / 03.05.2005 एवं 19547 / 24.12.2004	720 / 2010–11 729 / 2010–11	2023–24
3		01	272	15.03	4297 / 23.03.2004	737 / 2010–11	2023–24
					4419 / 24.03.2004	733 / 2010–11	
					4919 / 06.04.2004	732 / 2010–11	
					6778 / 03.05.2005	721 / 2010–11	
					6770 / 03.05.2005	728 / 2010–11	
					6771 / 03.05.2005 एवं अन्य	727 / 2010–11 एवं अन्य	

Nitish Kumar
Divisional Forest Officer
Ramgarh Forest Division

Umesh Sir

4	दुदाखाप	01	345	1.44	4294 / 22.03.2004 4295 / 22.03.2004 4293 / 22.03.2004 6790 / 03.05.2005 6784 / 03.05.2005 एवं अन्य	736 / 2010-11 735 / 2010-11 741 / 2010-11 742 / 2010-11 743 / 2010-11 एवं अन्य	2023-24

इस प्रकार प्रश्नगत भूमि पर पूर्व से ही दाखिल खारिज के आधार पर जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद निर्गत हो रहा है, जिस कारण अंचल कार्यालय के द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं की गयी है।

परन्तु भूमि का किस्म जंगल झाड़ी के संज्ञान में आने के पश्चात् विभागीय आदेश के आलोक में अंचल कार्यालय के द्वारा वर्ष 2022 में डायरेक्टर मेसर्स आलोक स्टील इंडस्ट्रीज प्रा० लि० को Forest Clearance करते हुये भूमि को लीज में लेने का निर्देश दिया गया तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत Settelment of Rights की प्रक्रिया की गयी। गैरमजरूआ भूमि का NOC निर्गत करने के पूर्व भूमि गणना तालिका के अनुसार बाजार दर का 80 प्रतिशत राशि 3,56,13,739/- (तीन करोड़ छपन लाख तेरह हजार सात सौ उनचालीस) कम्पनी को सरकारी कोषागार में जमा करने का निर्देश दिया गया। उक्त के आलोक में कम्पनी के द्वारा ई-चालान संख्या GRN 22-3224292 दिनांक 01.09.2022 के माध्यम से राशि जमा करा दिया गया है। विभागीय कार्यवाही चल रही है, 20 प्रतिशत की शेष राशि प्राप्त कर लीज देने की प्रक्रिया की जाएगी साथ ही पूर्व से कायम जमाबंदी को नियमानुसार रद्द भी किया जायेगा।

अतः जाँच प्रतिवेदन भवदीय को सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

Nitish Kumar
Divisional Forest Officer
Ramgarh Forest Division

विश्वासभाजन

अंचल अधिकारी
माण्डू

FRA NOC (234)

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसख्यंक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण शाखा)

दूरभाष : 06553-261555 (o) Email : dc-ramgarh@gov.in

(प्रमाण पत्र)

पत्रांक................./ क०, दिनांक........./ ..../ 2022

प्रमाणित किया जाता है कि **ग्राम– बुढ़ाखाप में मेसर्स आलोक स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा०लि० द्वारा मिनि स्टील प्लांट** के निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्तावित भूमि के उपयोजन हेतु ग्रामसभा की गई है, जिसका अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा रहा है। भूमि का विवरणी निम्न प्रकार है:–

क्र०	ग्राम सभा की तिथि	परियोजना का नाम	ग्राम	थाना	खाता	प्लॉट	भूमि का किस्म		कुल रकबा
							अधिसूचित वन भूमि (ए० में)	गै०म०खास जंगल (ए० में)	(एकड़ में)
1	12.02.2022	ग्राम– बुढ़ाखाप में मेसर्स आलोक स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा०लि० द्वारा मिनि स्टील प्लांट के निर्माण हेतु।	बुढ़ाखाप	150	01	238	-	0.02	0.02
						258	-	0.82	0.82
						272	-	15.03	15.03
						272	5.43	-	5.43
						345	0.18	1.44	1.62
						कुल	**5.61**	**17.31**	**22.92 ए० 9.27 हे०**

1. उपयुर्क्त वनभूमि जो **ग्राम– बुढ़ाखाप में मेसर्स आलोक स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा०लि० द्वारा मिनि स्टील प्लांट के निर्माण हेतु अधिसूचित वन भुमि रकवा 5.61 ए० एवं गैरमजुरूआ खास जंगल रकवा 17.31 ए० कुल रकवा–22.92 एकड (9.27 हे०)** भूमि में निर्माण हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निकासी (वन अधिकारी के मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत Settlement Of Rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि उपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाशा। मातृभाशा में ग्राम सभा को व्यस्थापित कर दी गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि उपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिये गये निर्णय के समय ग्राम सभा की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृशक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा(1)(c) के अनुसार विशेष रूप के रक्षित किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिये जानेवाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी (वनअधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत् प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है।

ह०/–
उपायुक्त,
रामगढ़।

Amrit/E/2021-22/Deepak sir/Noc

(233)

ज्ञापाक ....1274/क०, रामगढ़, दिनांक ......15 / ...09 / 2022

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सरकार के सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसख्यंक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मेसर्स आलोक स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, माण्डू, रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

माधवी मिश्रा
14.9.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

(232)

LAND NOC.

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़।

(राजस्व शाखा)

–:: अनापत्ति प्रमाण–पत्र ::–

मेसर्स, आलोक स्टील इंडस्ट्री प्राईवेट लि० के पत्रांक–ASIPL/054/2022-23, दिनांक–16.09.2022 के द्वारा माण्डू अंचल अन्तर्गत मौजा–बुढ़ाखाप के खाता संख्या–01 के विभिन्न प्लॉट अन्तर्गत कुल रकवा–17.31 एकड़ गैरमजरूआ खास, जंगल–झाड़ी भूमि में मिनी स्टील प्लान्ट के निर्माण हेतु उक्त भूमि के एवज में 80 प्रतिशत राशि–3,56,13,739.00 (तीन करोड़ छप्पन लाख तेरह हजार सात सौ उन्चालिस) रूपये राजस्व विभाग के प्राप्ति शीर्ष–0029–भू–राजस्व, उप–शीर्ष–001, लघु शीर्ष–इकाई–(0029)–002900101060101 में चालान के माध्यम से जमा कराने के उपरान्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ एवं अंचल अधिकारी, माण्डू के अनुशंसा के आलोक में माण्डू अंचल अन्तर्गत प्रस्तावित मिनी स्टील प्लान्ट के निर्माण हेतु मौजा–बुढ़ाखाप के खाता संख्या–01 के विभिन्न प्लॉट अन्तर्गत कुल रकवा–17.31 एकड़ गैरमजरूआ खास, जंगल–झाड़ी भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

भूमि विवरणी निम्नवत् है–

अंचल का नाम	मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा (एकड़ में)	किस्म भूमि
माण्डू	बुढाखाप	150	01	238	0.02	गैरमजरूआ खास जंगल झाड़ी
				258	0.82	
				272	15.03	
				345	1.44	
				कुल रकवा–	**17.31**	

कुल रकवा–17.31 एकड़ गैरमजरूआ खास जंगल झाड़ी में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि एवं वन (Deemed Forest) आदि से बाहर है, के अपयोजन हेतु सैद्धांतिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बंदोबस्ती हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

ह०/–
उपायुक्त,
रामगढ़।

ज्ञापांक–333 /रा०, रामगढ़, दिनांक–14/03/2023

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, माण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मेसर्स, आलोक स्टील इंडस्ट्री प्राईवेट लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

13.3.2023
उपायुक्त,
रामगढ़।

UMJJ Land 80% payment demand & payment

(231)

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक 1397 / रा0

प्रेषक,

उपायुक्त,
रामगढ़।

सेवा में,

निदेशक,
मेसर्स आलोक स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0,
राँची रोड, मरार, रामगढ़।

रामगढ़, दिनांक 01 / 09 / 2022

विषय :– **मेसर्स आलोक स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 द्वारा माण्डू अंचल अन्तर्गत मिनी स्टील प्लांट के निर्माण हेतु ग्राम–बूढ़ाखाप, थाना संख्या–150, खाता संख्या–01 के विभिन्न प्लॉटों में स्थित कुल रकवा–17.31 एकड़ का NOC निर्गत करने के पूर्व भूमि के मूल्य का 80 प्रतिशत संशोधित राशि जमा करने के संबंध में।**

प्रसंग :– मेसर्स आलोक स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 का पत्रांक–ASIPL/044/2022-23, दिनांक–23.08.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कार्यालय पत्रांक–1383 / रा0, दिनांक–18.10.2021 को संशोधित करते हुए कहना है कि मेसर्स आलोक स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 द्वारा माण्डू अंचल अन्तर्गत मिनी स्टील प्लांट के निर्माण हेतु ग्राम–बूढ़ाखाप, थाना संख्या–150, खाता संख्या–01 के विभिन्न प्लॉटों में स्थित कुल रकवा–22.92 के स्थान पर कुल रकवा–17.31 एकड़, गैरमजरूआ खास किस्म–जंगल भूमि का FRA/NOC निर्गत किया जाना है। विभागीय पत्रांक–4908 / रा0, दिनांक–17.12.2019 के अनुसार गैरमजरूआ भूमि का NOC निर्गत करने के पूर्व जिला निबंधन कार्यालय द्वारा वर्तमान में लागू भूमि के बाजार दर का 80 प्रतिशत राशि सरकारी कोषागार में अधियाची विभाग द्वारा जमा किया जाना आवश्यक है। उक्त के आलोक में मौजा–बूढ़ाखाप अन्तर्गत अधियाचित भूमि का जिला निबंधन कार्यालय द्वारा वर्तमान में निर्गत दिनांक–01.08.2021 से लागू भूमि मूल्य पर राशि की गणना (Industrial rate नहीं रहने पर Commercial rate पर) विभागीय संकल्प संख्या–48 / रा0, दिनांक–03.01.2017 के आधार पर किया गया है। गणना तालिका इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः निदेश है कि अधियाचित भूमि कुल रकवा–17.31 एकड़ गैरमजरूआ खास किस्म–जंगल का संलग्न गणना तालिका के अनुसार कुल 4,45,17,174.00 (चार करोड़ पैंतालिस लाख सत्तराह हजार एक सौ चौहत्तर) रूपये का 80 प्रतिशत राशि 3,56,13,739.00 (तीन करोड़ छप्पन लाख तेरह हजार सात सौ उन्चालिस) रूपये राजस्व विभाग से प्राप्ति शीर्ष–0029–भू–राजस्व, उप–शीर्ष–001, लघु शीर्ष–106, शीर्ष इकाई–(0029)–002900101060101 में चालान के माध्यम से जमा कर चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय, ताकि FRA/NOC निर्गत करने की अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन
माधवी मिश्रा
01.9.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

Shams/D/Rakesh sir. 438

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़
(राजस्व शाखा)

मेसर्स आलोक स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 द्वारा अधियाचित गैरमजरूआ खास/आम, जंगल–झाड़ी भूमि की सलामी, लगान तथा सेस राशि की विवरणी (विभागीय संकल्प संख्या 48/रा0 दिनांक 03.01.2017 के अनुसार) – संशोधित गणना तालिका

क्र0 सं0	प्रोजेक्ट का नाम	अंचल का नाम	मौजा का नाम	रकवा (एकड़ में)	निबंधन कार्यालय द्वारा निर्धारित भूमि की बाजार दर प्रति एकड़	प्रस्तावित सलामी की राशि	प्रति वर्ष लगान @1% (सलामी का)	प्रति वर्ष सेस @75% (लगान का)	अन्य (लगान एवं सेस 29 वर्ष का)	कुल देय राशि (7+8+9+10)	कुल देय राशि का 80%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	मेसर्स आलोक स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0	माण्डु	बूढ़ाखाप	17.31	1686400.00	29191584.00	291916.00	218937.00	14814737.00	44517174.00	35613739.00
कुल –				17.31		29191584.00	291916.00	218937.00	14814737.00	44517174.00	35613739.00

ह0/अपठनीय
01.9.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

230

229

Aloke Steels Industries Private Limited

REGD OFFICE : OPP. ASHOK CINEMA, RANCHI ROAD, MARAR -829 117 DIST. - RAMGARH (JHARKHAND)
CIN : U27103JH2004PTC010725
Email : asipl.ramgarh@gmail. com

WORKS : Vill : Budhakhap Post : Karma -829137 Dist.-Ramgarh,(Jharkhand)

O/c

Ref. No.............................. Date........................

ASIPL/047/2022-23 03.09.2022

To,
The Dy. Commissioner,
Dist. Ramgarh (Jharkhand)

Sub: Information of payment of Rs. 3,56,13,739/- regarding.
Ref: Your Letter No. 1397/Ra. Dated-01.09.2022

Respected Madam,

Please refer to the above this is to inform you that the payment of Rs. 3,56,13,739/- has been made vide e-challan no. J-218681808 dated 02.09.2022 under Head 002900101060101 against the demand issued vide letter no. 1397/Ra dated 01.09.2022 for issuing FRA/NOC. The e-challan is enclosed herewith for your kind perusal.

Please find above in order and do the needful for issue of FRA & NOC at the earliest.

Thanking you,

Yours faithfully,
For ALOKE STEELS INDUSTRIES PVT. LTD.

(Manoj Kumar)
Manager Environment

03/09/22

Encl: As above.

Copy to: The Additional Collector, Dist. Ramgarh, Jharkhand

(228)

e-Challan

Finance Department, Goverment of Jharkhand

Receiving Dept: Revenue, Registration and Land Reforms Department (Revenue and Land Reforms Division)

Valid UpTo :-10/09/2022

Remitter's Copy

GRN:-2213224292

Date:- 01/09/2022 17:42:30

Receiving Office :- RGHLDR036-AC RAMGARH-AC OFFICE RAMGARH

District :- Ramgarh

Treasury:- Ramgarh

Year:-01/09/2022

to:- 15/09/2022

Head(0029)		Amount ₹
Head Details	002900101060101	
सरकारी भूमि के अधिग्रहण/हस्तांतरण के		35613739.00

Net Payable Amount:- ₹ 35613739.00

Three Crore Fifty Six Lakh Thirteen Thousand Seven Hundred Thirty Nine Rupees And

Payee Detail

Identity Proof(Pan No.) - AAECA7250R

PAN No:- AAECA7250R

Remitter Name:- ALOKE STEELS INDUSTRIES PVT LTD

Address :- VILL: BUDHAKHAP, THANA NO.150, KARMA, RAMGARH RAMGARH 829137

Remarks :- PAYMENT FOR GM LAND VIDE LETTER NO1397 DT 01.09.22

Aloke Steels Industries Private Limited
Authorised Signatory

FOR USE IN RECEIVING BANK (GBSS)

CHEQUE/DD No :- 973283 DATED 01.09.2022

Bank CIN No :- NA

Bank Name :- State Bank of India (Any CBS Branch)

Bank Reference No :-

भारतीय स्टेट बैंक
रामगढ़ शाखा—0154
नगद प्राप्त/भुगतान/अंतरण
02 SEP 2022
PF.No.-5956773

Signature & Seal of Bank

5 – 218681808

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़।

(राजस्व शाखा)

दूरभाष : 06553–261555(O) Email ID: dc-ramgarh@gov.in

पत्रांक 165 / रा0

Batra 04/02/25

प्रेषक,

उपायुक्त,
रामगढ़।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक –सह– नोडल पदाधिकारी (एफ.सी)
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड सरकार,
वन भवन, डोरंडा, राँची।

04/02

306
05/2/2025

रामगढ़, दिनांक 01 / 02 / 2025

विषय :– मेसर्स आलोक स्टील ईण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 के प्लांट हेतु 9.27 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में वांछित अतिरिक्त सूचना के संबंध में।

प्रसंग :– आपका कार्यालय पत्रांक– FP/JH/ENCRH/39652/2019/724 दिनांक 02.12.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में आपके द्वारा मांगी गई मेसर्स आलोक स्टील ईण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 के प्लांट हेतु 9.27 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में कार्यालय ज्ञापांक 1318/रा0 दिनांक 16.12.2024 से अंचल अधिकारी माण्डू से पत्राचार कर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी माण्डू के द्वारा अपने पत्रांक 120 दिनांक 31.01.2025 से निम्नवत् प्रतिवेदित किया गया है:– **उपरोक्त गैरमजरूआ खास खाता सं0 01 किस्म भूमि जंगल–झाड़ी आवेदक को निबंधित केवाला से हासिल है, जिसकी पूरी विवरणी प्रपत्र–1 में संलग्न है, भूमि का दाखिल–खारिज स्वीकृति के आधार पर वर्ष 2010–11 में कायम की गई है। कायम जमाबंदी में भूमि के विक्रेता के जमाबंदी का पृ0सं0 एवं भोल्युम संख्या दर्ज है। जमाबंदी पंजी– II के भोल्युम सं0– 01 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भूमि विक्रेता की जमाबंदी से रकवा घटाया नहीं गया है। पंजी– II भोल्युम सं0– 01 वर्ष 1984–85 से संबंधित है, जिसके कैफियत कॉलम में प्रथम रसीद सं0– 549032 दिनांक 21.01.1955 रसीद सं0– 291122 दिनांक 27.12.1955 एवं रसीद सं0 886455, दिनांक 04.09.1954 इत्यादि दर्ज है परन्तु पंजी– II में किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है। ऑफलाईन पंजी– II 1983–84 से वर्ष 2010–11 तक की छायाप्रति साथ संलग्न है।**

पुरानी पंजी– II के जमाबंदी का मिलान 1951–52 से वर्ष 1983–84 तक कायम जमाबंदी से मिलान किया गया। उपरोक्त जमाबंदी पुरानी पंजी– II में कायम नहीं है।

अतः प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

Chandan 01/02/25

उपायुक्त
रामगढ़।

कार्यालय अंचल अधिकारी, माण्डू(रामगढ़)

पत्रांक 120

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
माण्डू।

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

माण्डू, दिनांक 31/01/2025

विषय :– आलोक स्टील इंडस्ट्रीज के प्लॉट हेतु 9.27 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में वांछित अतिरिक्त सूचना के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय ज्ञापांक 1318/रा0, दिनांक 16.12.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में प्राप्त आवेदन की जाँच राजस्व उप–निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जाँच कराई गई। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि गैरमजरूआ किस्म जंगल–झाड़ी के कायम जमांबदी के आलोक में स्टील इंडस्ट्रिज के प्लॉट में वर्ष 1980 के पूर्व कृषि कार्यों के लिए बन्दोबस्ती भूमि से संबंधित साक्ष्य एवं दस्तावेज की मांग की गई है।

उपरोक्त गैरमजरूआ खास खाता सं0 01 किस्म भूमि जंगल–झाड़ी आवेदक को निबंधित केवाला से हासिल है, जिसकी पूरी विवरणी प्रपत्र–1 में संलग्न है, भूमि का दाखिल–खारिज स्वीकृति के आधार पर वर्ष 2010–11 में कायम की गई है। कायम जमाबंदी में भूमि के विक्रेता के जमाबंदी का पृ0सं0 एवं भोल्युम संख्या दर्ज है। जमाबंदी पंजी– II के भोल्युम सं0– 01 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भूमि विक्रेता की जमाबंदी से रकवा घटाया नहीं गया है। पंजी– II भोल्युम सं0– 01 वर्ष 1984–85 से संबंधित है, जिसके कैफियत कॉलम में प्रथम रसीद सं0– 549032 दिनांक 21.01.1955 रसीद सं0– 291122 दिनांक 27.12.1955 एवं रसीद सं0 886455, दिनांक 04.09.1954 इत्यादि दर्ज है परन्तु पंजी– II में किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है। ऑफलाईन पंजी– II 1983–84 से वर्ष 2010–11 तक की छायाप्रति साथ संलग्न है।

पुरानी पंजी– II के जमाबंदी का मिलान 1951–52 से वर्ष 1983–84 तक कायम जमाबंदी से मिलान किया गया। उपरोक्त जमाबंदी पुरानी पंजी– II में कायम नहीं है।

अतः प्रतिवेदन भवदीय को सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

31.1.25

अंचल अधिकारी,
माण्डू।

(215)

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
माण्डू।

विषयः— मौजा बुढ़खाप थाना सं0—150 के खाता सं0—01 प्लॉट सं0—238, 272, 258 एवं 345 रक्का 17.31 एकड़ गैरमजरूआ खास किस्म भूमि जंगल झाड़ी के फॉरेस्ट क्लीयरेंस से संबंधित जॉच के संबंध में।

प्रसंग :— अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ के ज्ञापांक—1318/रा0, दिनांक—16.12.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंचल कार्यालय माण्डू का पत्रांक—890, दिनांक—20.08.2024 के वन विभाग रामगढ़ एवं अंचल अधिकारी, माण्डू के द्वारा भेजे गये संयुक्त प्रतिवेदन के आलोक में उप वन—महानिरीक्षक पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार क्षेत्रिय कार्यालय हरमु रांची के पत्रांक—724, दिनांक—02.12.2024 के द्वारा गैरमजरूआ किस्म जंगल—झाड़ी के कायम जमाबंदी के आलोक स्टील इण्स्ट्रियल के प्लांट में वर्ष—1980 के पूर्व कृषि कार्यो के लिए बन्दोबस्ती भूमि संबंधित साक्ष्य एवं दस्तावेज की मांग की गई है। उपरोक्त गैरमजरूआ खास खाता सं0—01 किस्म भूमि जंगल—झाड़ी आवेदक के निबंधित केवाला से हासिल है, जिसकी पूरी विवरणी प्रपत्र—I में संलग्न है, कि भूमि का दाखिल—खारिज स्वीकृति के आधार पर वर्ष—2010—11 में कायम की गई है। कायम जमांदी मे भूमि के विक्रेता के जमाबंदी का पृ0सं0 एवं भोल्यूम संख्या दर्ज है।

जमाबंदी पंजी—II के भोल्युम सं0—01 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भूमि विक्रेता की जमाबंदी से रकवा घटाया नहीं गया है। पंजी—II भोल्युम सं0—01 वर्ष—1984—85 से संबंधित है, जिसके कैफियत कॉलम में प्रथम रसीद सं0—549032, दिनांक—21.01.1955 रसीद सं0—291122, दिनांक—27.12.1955 एवं रसीद सं0—886455, दिनांक—04.09.1954 इत्यादि दर्ज है, परंतु पंजी—II के प्राधिकार कॉलम में किसी सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। ऑफलाईन पंजी—II वर्ष—1983—84 से 2010—11 तक की छायाप्रति साथ में संलग्न है।

पुरानी पंजी—II के जमाबंदी का मिलान 1951—52 से वर्ष 1983—84 तक कायम जमाबंदी से मिलान किया गया। उपरोक्त जमाबंदी पुरानी पंजी—II में कायम नहीं है।

अतः प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनुलग्नक :— यथोक्त।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर)

राजस्व उप निरिक्षक
—सह—
प्रभारी अंचल निरिक्षक
माण्डू।

Umesh Sir

कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बोकारो।

VAN BHAWAN, PURULIA ROAD, CHAS, BOKARO - 827013
: - 06542-265440 Email – rccf-bokaro@gov.in/bokarorccf@gmail.com

पत्रांक : 469 दिनांक : 19/03/2025

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
—सह—
कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

विषय :— **मेसर्स आलोक स्टील इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के मिनी प्लांट हेतु 9.27 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :— **1. उप वन महानिरीक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक—FP/JH/ENCRCH/39652/2019/724, दिनांक 02.12.2025।**
2. आपका ज्ञापांक 37 दिनांक 09.01.2025 एवं पत्रांक 176 दिनांक 28.02.2025।
3. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक 20 दिनांक 11.03.2025

कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड झारखण्ड, राँची
आवक सं० 760
दिनांक 21/3/2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र—2 के द्वारा पृच्छित बिन्दुओं के निराकरण प्रतिवेदन पर मंतव्य अंकित कर समर्पित करने का निर्देश दिया गया था। निर्देश के आलोक में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के प्रासंगिक पत्र द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़ से प्राप्त पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन मंतव्य सहित समर्पित किया गया है, जो निम्नवत् है :—

क्र0सं0	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई पृच्छा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी का मंतव्य
1	2	3
1.	"वन प्रमण्डल पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन तथा पत्रांक 890 दिनांक 20.08.2024 (क्रमशः) से संबंधित गैर मजरूआ जंगल—झाड़ी किस्म जंगल भूमि का पूर्व से ही दाखिल—खारिज के आधार पर जमाबंदी कायम होना एवं लगान रसीद निर्गत होना बताया गया है किन्तु इसके सापेक्ष किसी प्रकार का साक्ष्य—दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह	उपायुक्त, रामगढ़ ने अपने पत्रांक 165/रा0 दिनांक 01.02.2025 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—नोडल पदाधिकारी (एफ0सी0) को अपना पक्ष सीधे प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न की जा रही है **(बंडल—01)**। उक्त उत्तर से उद्धृत पद्यांश, "पंजी—II के Volume No. —01 वर्ष 1984—85 से संबंधित है, जिसके कैफियत कॉलम में प्रथम रसीद

क्र0सं0	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई पृच्छा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी का मंतव्य
1	2	3
	स्थापित किया जा सके कि संदर्भित वन भूमि 1980 से पूर्व (वन प्रमण्डल पदाधिकारी के स्थल–प्रतिवेदनानुसार 1940–60 के मध्य) कृषि कार्यों हेतु बंदोबस्तित किया जा चुका था।"	संख्या–549032 दिनांक 21.01.1955, रसीद संख्या–886455 दिनांक 04.09.1954 इत्यादि दर्ज है" **जो दर्शाता है कि अधिकतर प्रथम रसीद 1940–60 के बीच में निर्गत है।** जिसका सार प्रपत्र–1 में उपायुक्त के उत्तर में संलग्न है। **उपलब्ध पंजी–II जिसमें 1984–85 से रिकार्ड उपलब्ध कराया गया है, 1996 से पूर्व का है।** संबंधित केवाला में भी बंदोबस्त वर्ष अंकित है, जो कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया है और जिसका सार प्रथम 03 पृष्ठों में दिया गया है **(बंडल–2)**।

अतः प्राप्त प्रतिवेदन की छः प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

आपका विश्वासी

19/3

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

19/03/25

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो।
वन भवन, ब्लॉक-'ए' पुरूलिया रोड़, चास, बोकारो-827013
Email – cf-bokaro@gov.in, bokarocf@gmail.com, cfbokaro@rediffmail.con मो० – 8987790301

पत्रांक : 290, दिनांक : 11-03-2025

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

विषय :— मेसर्स आलोक स्टील इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के मिनी प्लांट हेतु 9.27 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :— 1. उप वन महानिरीक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक–FP/JH/ENCRCH/39652/2019/724, दिनांक 02.12.2025।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ज्ञापांक 37 दिनांक 09.01.2025 एवं पत्रांक 176 दिनांक 28.02.2025।
3. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल का पत्रांक 607 दिनांक 01.03.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र–2 के द्वारा पृच्छित बिन्दुओं के निराकरण प्रतिवेदन पर मंतव्य अंकित कर समर्पित करने का निर्देश दिया गया था। निर्देश के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़ के प्रासंगिक पत्र द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन मंतव्य सहित समर्पित किया गया है, जो निम्नवत् है :—

क्र0सं0	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई पृच्छा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी का मंतव्य
1	2	3
1.	"वन प्रमण्डल पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन तथा पत्रांक 890 दिनांक 20.08.2024 (क्रमशः) से संबंधित गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी किस्म जंगल भूमि का पूर्व से ही दाखिल–खारिज के आधार पर जमाबंदी कायम होना एवं लगान रसीद निर्गत होना बताया गया है किन्तु इसके सापेक्ष किसी प्रकार का साक्ष्य–दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह स्थापित किया जा सके कि संदर्भित वन भूमि 1980 से पूर्व (वन प्रमण्डल पदाधिकारी के स्थल–प्रतिवेदनानुसार 1940–60 के मध्य) कृषि कार्यों हेतु बंदोबस्तित किया जा चुका था।"	उपायुक्त, रामगढ़ ने अपने पत्रांक 165/रा0 दिनांक 01.02.2025 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–नोडल पदाधिकारी (एफ0सी0) को अपना पक्ष सीधे प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न की जा रही है **(बंडल–01)**। उक्त उत्तर से उद्धृत पदयांश, "पंजी–II के भोल्यूम संख्या–01 वर्ष 1984–85 से संबंधित है, जिसके कैफियत कॉलम में प्रथम रसीद संख्या–549032 दिनांक 21.01.1955, रसीद संख्या–886455 दिनांक 04.09.1954 इत्यादि दर्ज है" जो दर्शाता है कि अधिकतर प्रथम रसीद 1940–60 के बीच में निर्गत है। जिसका सार

(221)

क्र0सं0	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई पृच्छा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी का मंतव्य
1	2	3
		प्रपत्र–1 में उपायुक्त के उत्तर में संलग्न है। उपलब्ध पंजी–II जिसमें 1984–85 से रिकार्ड उपलब्ध कराया गया है, 1996 से पूर्व का है। संबंधित केवाला में भी बंदोबस्त वर्ष अंकित है, जो कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया है और जिसका सार प्रथम 03 पृष्ठों में दिया गया है (बंडल–2)।

अतः प्राप्त प्रतिवेदन की सात प्रतियाँ संलग्न समर्पित करते हुए अनुरोध है कि आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

11/03/2025

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

(220)

कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़।

(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो0–मरार, जिला–रामगढ़ पिन–829117)

Email id – dfo-ramgarh@gov.in, Landline- 06553-296061, Mobile No-8987790306.

पत्रांकः– 607 दिनांकः– 01/03/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

विषय :– आलोक स्टील इंडस्ट्रीज के प्लांट हेतु 9.27 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में वांछित अतिरिक्त सूचना के संबंध में।

प्रसंगः– 1. उप वन महानिरीक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची का पत्रांक– FP/JH/ENCRCH/39652/2019/724 dated 02.12.2024

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–एफ0सी0 नोडल, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक– 37 दिनांक 09.01.2025 एवं पत्रांक–176 दिनांक 28.02.2025

3- भवदीय का ज्ञापांक– 71 दिनांक 20.01.2025

(मुहर: वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो — पत्रांक– 570, दिनांक– 04/3/25)

महाशय,

भवदीय को सूचित करना है कि पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक– 1723 दिनांक 04.09.2024 के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया था। पुनः क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई पृच्छा का उत्तर अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जा रहा है:–

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई पृच्छा	वन प्रमंडल पदाधिकारी का मंतव्य
"वन प्रमंडल पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन तथा पत्रांक–890 दिनांक 20.08.2024 (क्रमशः) से संबंधित गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी किस्म जंगल भूमि का पूर्व से ही दाखिल–खारिज के आधार पर जमाबंदी कायम होना एवं लगान रसीद निर्गत होना बताया गया है किन्तु इसके सापेक्ष किसी प्रकार का साक्ष्य–दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह स्थापित किया जा सके कि संदर्भित वन भूमि 1980 से पूर्व (वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्थल– प्रतिवेदनानुसार 1940–60 के मध्य) कृषि कार्यो हेतु बंदोबस्तित किया जा चुका था"	उपायुक्त, रामगढ़ ने अपने पत्रांक 165/रा0 दिनांक 01.02.2025 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह– नोडल पदाधिकारी (एफ0सी0) को अपना पक्ष सीधे प्रेषित किया है, जिसकी प्रति संलग्न की जा रही है (बंडल–01)। उक्त उत्तर से उद्धृत पद्यांश, "पंजी–II के भोल्यूम संख्या–01 वर्ष 1984–85 से संबंधित है, जिसके कैफियत कॉलम में प्रथम रसीद संख्या–549032 दिनांक 21.01.1955, रसीद संख्या– 291122 दिनांक 27.12.1955 एवं रसीद संख्या–886455 दिनांक 04.09.1954 इत्यादि दर्ज है" जो **दर्शाता है कि अधिकत्तर प्रथम रसीद 1940–60 के बीच में निर्गत है।** जिसका सार प्रपत्र-1 में उपायुक्त के उत्तर में संलग्न है। **उपलब्ध पंजी–II जिसमें 1984–85 से रिकार्ड उपलब्ध कराया गया है, 1996 से पूर्व का है।** संबंधित केवाला में भी बंदोवस्त वर्ष अंकित है, जो कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया है और जिसका सार प्रथम 03 पृष्ठों में दिया गया है (बंडल–2)।

अनुलग्नकः– 08 प्रतियों में।

आपका विश्वासी,

Nitish 01/3/25

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ़।